माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर जिला-ग्वालियर म0प्र0

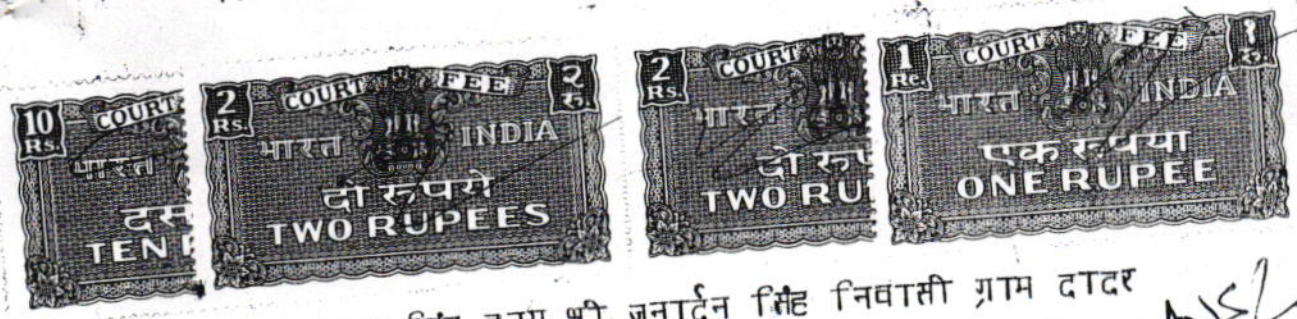

158

राजकुमार सिंह तनय श्री जनार्दन सिंह निवासी ग्राम दादर
तह0 हुजूर जिला-रीवा म0प्र0 ------अपीलार्थी

A2148-III/06

बनाम

म0प्र0 शासन -----रेस्पाडेन्ट

द्वारा आज दि0 17-11-06 को प्रस्तुत
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण
क्र0 227/अपी0/97-98 में पारित
आदेश 10-8-06 के विरूद्ध अपील

अन्तर्गत धारा 44।2। म0प्र0भू0राजस्व
संहिता।

[illegible] तथ्य [illegible] है कि अपीलार्थी [illegible] कलेक्टर द्वारा के विरूद्ध [illegible] दि0 [illegible] आशय का प्रस्तुत कि[illegible] अपीलार्थी ने ग्राम [illegible] के खसरा नं0 414 के शासकीय भूमि के रकबा [illegible]00 ए0 से 500 मै0 टन खनिज पत्थर का अवैध उत्खनन विक्रय [illegible] किया गया है, जिसकी रायल्टी 4000=00रू बाजार [illegible]0,000रू0 व प्रस्तावित अर्थदण्ड 40,[illegible]रू0 होता है इस प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर ने 40,[illegible]0 का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जप्त सामग्री को राजसात करते हुये अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु आर.आर.सी. जारी की गई इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जहां पर अपील को निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रस्तुत की जा रही है।

17-11-06

यह कि विवादस्पद आदेश विधि प्रक्रिया एवं न्यायिक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक अपील 2148–तीन/06 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24–8–16	आवेदक के अभिभाषक श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। अनावेदक शासकीय पैनल अधिवक्ता श्री जादौन उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 227/अपील/97–98 में पारित आदेश दिनांक 10.08.06 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ प्रकरण का संक्षेप सार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा एक प्रतिवेदन दिनांक 06.05.97 को प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी द्वारा ग्राम दादर स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 414 रकबा 3.08 एकड़ के अंश रकबा 1.00 एकड़ पर पत्थर अवैध उत्खनन किया गया है । उक्त भूमि पटवारी अभिलेख में शासकीय दर्ज है । अवैध उत्खनन की गई खनिज गढ़ों की नाप उत्खान में लगे मजदूरों के बयान, जप्ती खसरा नक्शा आदि के साथ प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया । उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा के न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी को कारण बताओ सूचना जारी किया गया। जिसका जवाब अपीलार्थी द्वारा दिनांक 13.04.98 को प्रस्तुत किया गया।	

इसके पश्चात आगामी पेशी में वह सूचना उपरांत अनुपस्थित रहा, इसी कारणवश अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा द्वारा दिनांक 27.06.98 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये, अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। इसी आदेश के आधार पर उत्खनित खनिज की बाजारू कीमत 20,000/– रुपये की दुगनी 40,000/–का अर्थदण्ड अपीलार्थी पर अधिरोपित किया गया तथा जप्त सामाग्री राजसात की गई । इसी आदेश से दुखित होकर अपीलार्थी द्वारा अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में अपील पेश की गई । न्यायालय अपर आयुक्त के यहॉ प्रकरण क्रमांक 227/अपील/97–98 पर दर्ज किया गया तथा दिनांक 10.08.06 को अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील त्थ्यहीन व आधारहीन अपील निरस्त की गई एवं अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.98 स्थिर रखा गया । अपर आयुक्त रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई ।

4/ आवेदक अधिवक्ता के द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को पक्ष समर्थन का कोई अवसर नहीं दिया गया । तारीख पेशी में गड़बड़ी कर उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई । खनिज निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से अथवा मनमाने ढंग से ग्रामवासियों के बातों में आकर एवं हल्का पटवारी के गलत बयान के आधार पर प्रतिवेदन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है । प्रकरण में शासकीय साक्ष्य के बयान न्यायालय में नहीं लिये गये,

पटवारी का बयान कब और कहां लिया गया, यह भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका में स्पष्ट नहीं किया गया । उत्खनित खनिज की बाजार मूल्य की गणना किस आधार पर की गई, आदेश में इसकी कोई विवेचना नहीं है है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये अपील स्वीकार किया जावे ।

5/ अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपीलार्थी का कहना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे पक्ष समर्थन का समुचित अवसर नहीं दिया गया है । यह तर्क मान्य योग्य नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा दिनांक 13.04.98 को स्वयं उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया गया । अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा के द्वारा सुनवाई हेतु दिनांक 11.12.97 की तिथि नियम की गई । इस तिथि की सूचना अपीलार्थी को थी, किन्तु सूचना उपरांत भी अपीलार्थी अपर कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण अपर कलेक्टर द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेशित की गई है । इसके बाद दिनांक 09.06.98 को शासकीय साक्ष्य के बयान लेकर दिनांक 27.06.98 को अपीलाधीन आदेश पारित किया

गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में संलग्न खसरा वर्ष 94–95 से 96–97 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा क्रमांक 414 रकबा 3.08 एकड़ म0प्र0 शासन दर्ज है । कैफियत खाना में देवी का मंदिर दर्ज है । प्रकरण में संलग्न पटवारी के कथन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से शासकीय भूमि, जिसमें देवी मंदिर स्थित है, में उत्खनन किया गया गया है । अपर कलेक्टर द्वारा विधिवत कारण बताओ देकर अपीलार्थी को अपने बचाव का जवाब व अवसर दिया गया है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा पारित विधिसंगत आदेश है । इसी आधार पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 10.08.06 से अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.06 एवं अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.98 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है । प्रकरण समाप्त किया जावे तथा अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य